

**आदेश-पत्रक**

( ऐसे अगिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक - ता० \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक

जिला \_\_\_\_\_ सं० \_\_\_\_\_ सन् १९ \_\_\_\_\_

केस का प्रकार \_\_\_\_\_

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</b></p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि विवाद अपील वाद संख्या 512/2012</b></p> <p>चन्देश्वरी भगत एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम</p> <p>दीपक कुमार स्वर्णकार एवं अन्य — प्रत्यर्थीगण</p> <p>प्रस्तुत भूमि विवाद अपील विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, बीरपुर के भूमि विवाद संख्या 19/11 में पारित आदेश के विरुद्ध आवेदक श्री चन्देश्वरी भगत पिता स्व० सरयुग भगत एवं चौदनी देवी, पति चन्देश्वरी भगत, साकिन- बीरपुर, थाना- बीरपुर, जिला- सुपौल द्वारा दायर किया गया है।</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद के ग्रहण के विन्दु पर सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि खतियानी रैयत अब्दुल कुदुस ने वर्ष 1974 में ही नया खेसरा 1445 से 1 क० 14 धुर भूमि विश्वनाथ साह एवं 1 क० 5 धुर भूमि विद्यालाल साह के हाथ फरोख्त कर दिया जो सही है किन्तु खतियानी रैयत अब्दुल कुदुस ने वर्ष 1974 में ही 2 क० भूमि नया खेसरा 1446 से विद्यासागर राय के हाथ भी फरोख्त किया जबकि नया खेसरा 1446 का रकबा मात्र 14 धुर ही है। इस प्रकार खतियानी रैयत ने अपना भूमि नया खेसरा 1445 रकबा 29 डी० अर्थात् 3 क० 9 धुर नया खेसरा 1446 रकबा 6 डी० अर्थात् 14 धुर दोनों खेसराओं के कुल रकबा 4 क० 3 धुर के बदले 4 क० 19 धुर जमीन बेचा जो बिल्कुल गैरकानूनी, जालसाजी वो नाजायज है। क्योंकि नया खेसरा 1446 का रकबा मात्र 14 धुर है जबकि नया खेसरा 1446 से 2 क० भूमि खतियानी वो नक्सा नापी से ज्यादा रकबा विद्यासागर राय को बिक्री किया गया।</p> <p>यह कि उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के विक्रेता को विद्यालाल साह से केवाला द्वारा हासिल था वो विद्यालाल साह को खतियानी रैयत मो० अब्दुल कुदुस से निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त था। जिस पर अपीलार्थी के विक्रेता हकदार वो दखलकार चले आ रहे थे वो सरकारी सिरिस्ते में जमाबन्दी कायम कर सरकारी मालगुजारी रसीद भी हासिल करते चले आ रहे थे वो अपीलार्थी से उचित जरसम्मन प्राप्त कर वर्ष 1980 में जरसम्मन पाकर अपीलार्थी के पक्ष में निबंधित सानुबंध (एग्रीमेंट)कर दिया तदनुरूप दखल भी दे दिया जिसके उपरान्त अपीलार्थी सानुबंध की भूमि पर अपना आवासीय घर, मकान, दुकान, सहन कायम कर परिवार के साथ रहने लगे वो वर्ष 1983 में रजिस्टर्ड केवाला भी अपीलार्थी के पक्ष में कर दिया किन्तु उक्त केवाला में खेसरा 1445 के जगह काबित के भूल से 1443 अंकित हो गया जबकि पुराना</p>	

खाता, खेसरा वो चौहददी बिल्कुल सही वो सरजमीन के अनुरूप है। बावजूद इसके अपीलार्थी के विक्रेता ने कातिब की गलती से गलत खेसरा अंकित हो जाने के कारण एक सुधारनामा भी बना दिया था जबकि अपीलार्थी के केवाला में पुराना खाता, खेसरा बिल्कुल सही था वो अपीलार्थी चौहददी के अनुरूप वो पुराना खाता, खेसरा के अनुरूप ही नया खेसरा 1445 पर सानुबंध (एग्रीमेंट)के वर्ष से शांतिपूर्ण हकदार वो दखलकार रहते चले आ रहे थे वो रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को उक्त भूमि से कोई इलाका वो सरोकार नहीं था वो न कभी हुआ बल्कि रेस्पोण्डेन्ट ने जान बुझकर अपनी दबंगता वो बल का प्रदर्शन कर नाजायज लाभ उठाने हेतु अपीलार्थी की सानुबंध 1980 वो खरीदगी 1983 की भूमि एक अनधिकृत महिला निर्मलादेवी पति जय किशोर साह जो मूल रूप से नेपाल की वासी है जिसका निर्मला देवी के ससुर विद्यालाल साह ने ही बहुत वर्ष कवल ही अपीलार्थी के विक्रेता विश्वनाथ साह के हाथ जमीन बिक्री कर दिया था उस महिला निर्मला देवी को थोड़ा सा लोभ लालच देकर नेपाल से बिहार लाकर बिना हक वो अधिकार की भूमि बिना जरसम्मन का नाजायज रजिस्ट्री केवाला करवाकर नाजायज दावा करते हुए निम्न न्यायालय में झूठा, मनगढन्त कथन करते हुए वो नाजायज वो बिना हक वो दखल वो तामिल नाजायज केवाला के आधार पर विवादी भूमि के निश्चत अनुतोष का मांग किया जिसपर निम्न न्यायालय ने विचार किये वगैर वो सही वस्तुस्थिति का तहकीकात किये बगैर ही रेस्पोण्डेन्ट / वादी के पक्ष में एकतरफा वो मेली आदेश पारित कर दिये जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी श्रीमान के न्यायालय में वास्ते उचित इन्साफ पाने हेतु अपील वाद पूर्व में दायर किये जिसका अपील वाद संख्या 171/2011 था जिस अपील वाद में ग्रहण विन्दु पर सुनवाई करने के उपरान्त निम्न न्यायालय को स्थल जॉच कर वो सानुबंध (एग्रीमेंट) दस्तावेज पर विचार कर नया आदेश करने का आदेश दिये किन्तु निम्नन्यायालय ने उच्चस्थ न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर अपने पूर्व के आदेश पर ही केन्द्रित रहकर बिना इन्चवाईरी के वो अपीलार्थी के सानुबंध (एग्रीमेंट) के कागजातों का अवलोकन किये बिना ही सारे नियम कानून का अनदेखी कर रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष में एकतरफा आदेश पारित कर दिये।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन प्रतीत होता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी चन्देश्वरी भगत द्वारा अपील वाद संख्या 171/12 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 31.01.12 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, बीरपुर के न्यायालय में आवेदन देकर अपील आदेश में इंगित विन्दु के संदर्भ में स्थानीय जॉच कर फिर से आदे 1 पारित करने हेतु अनुरोध किया गया। अपीलार्थी /प्रतिवादी द्वारा पुनः एक आवेदन दिनांक 19.07.12 को भूमि विवाद निवटारा अधिनियम की धारा -4 के उपधारा-5 के अन्तर्गत दाखिल किया गया। इस आवेदन में प्रतिवादी द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि प्रतिवादी चन्देश्वरी भगत के विकय पत्र दस्तावेज में खेसरा पुराना -663 दर्ज है जो कि सही है जबकि नया खेसरा 1445 के स्थान पर 1443 दर्ज हो गया है इसका नाजायज फायदा उठा कर आवेदक दीपक स्वर्णकार वो लक्ष्मण पासवान, विद्यालाल साह की पतोहु से अपीलार्थी चन्देश्वरी भगत की जमीन निबंधित वर्ष 2011 में करवा लिये हैं। ऐसी परिस्थिति में चन्देश्वरी भगत को जमीन होगा या नहीं यह प्रश्न पैदा हो गया है। प्रस्तुत मोकदमा में राईट टाईटिल का प्रश्न अर्न्तग्रस्त है जिसका निवटारा श्री मान के न्यायालय द्वारा नहीं हो सकता है अस्तु अधिकार वाद संख्या 87/12 सब जज सुपौल के न्यायालय में दाखिल किया गया है। अतएवं वाद की कार्यवाही स्थगित करने

की कृपा की जाय।

वादी के अधिवक्ता द्वारा निम्नन्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा गया कि भूमि विवाद निवटारा अधिनियम की धारा-10 में स्पष्ट रूप से वर्णित है अनुसूची-2 में वर्णित न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय इस अधिनियम तहद दायर किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में उक्त अधिकार वाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

यह कि जिस प्रकार अर्जी नालिस से बाहर वादी का कोई डिफेन्स नहीं हो सकता है। उसी प्रकार लिखित जबाब से बाहर से प्रतिवादी का कोई डिफेन्स नहीं हो सकता है। प्रतिवादी के लिखित जबाब में कहीं भी यह डिफेन्स नहीं लिया गया है। मोकदमा में टाइटिल का संश्लिप्त प्रश्न निहित है। तो फिर इस प्रश्न को उठाने का इजाजत कैसे दिया जा सकता है। जबकि मामला अपील के बाद पुनः रिमांड होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

यह कि प्रतिवादी ने अपने आवेदन दिनांक 19.07.12 में यह कहा है कि आवेदक दीपक स्वर्णकार वो लक्ष्मण पासवान द्वारा 2011 में विद्यालाल साह की पुतोहू से नाजायज ढंग से प्रतिवादी की जमीन निबधित करा लिया है। इसके निश्चत अधिकार वाद संख्या -87/12 सब जज सुपौल के न्यायालय में दाखिल किया गया है। वादी एवं लक्ष्मण पासवान प्रस्तुत मोकदमा के निवटारा तिथि 22.09.11 के दो माह के बाद विद्यालाल साह की पुतोहू निर्मला देवी से दीगर जमीन केबाला कराया है जो कि प्रस्तुत मोकदमा का विषय वस्तु नहीं है। प्रतिवादी द्वारा गुमराह करने के नियत से प्रस्तुत मोकदमा के विषयत वस्तु से बाहर दीगर जमीन के निश्चत दायर अधिकार वाद का हवाला दिया जा रहा है जिसका कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। जो जमीन निवटारा के दो माह बाद खरीदा जाता है उस जमीन से पूर्व के मोकदमा को क्या ताल्लुकात हो सकता है।


निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि मोकदमा के अर्जी में भाति देवी वो जय नारायण स्वर्णकार के नाम खरीदगी 15 धूर वो 19 धूर कुल एक कट्टा चौदह धूर में मात्र 6 धूर को वाद भूमि बनाया है। अधिकार वाद संख्या 87/12 में अब्दुल कुदुस से केबाला संख्या 2706/1974 विद्यालाल साह की खरीदगी जमीन को वाद भूमि बनाया गया है। निम्नन्यायालय के मोकदमा में अब्दुल कुदुस से केबाला संख्या 2705/1974 द्वारा विश्वनाथ साह को खरीदगी जमीन जिसका केबाला संख्या 3393/1984,5727/1988 द्वारा वि वनाथ द्वारा भाति देवी वो जय नारायण स्वर्णकार जो कि दीपक स्वर्णकार के पिता है को फरोक्त किया उसमें 3 धूर को वाद भूमि बनाया गया है भोश तीन धूर बाद में दीपक की मां को केबाला संख्या 3400,3401,3402 द्वारा अब्दुल कुदुस से खरीदगी 6 धूर में से 3 धूर है। इस प्रकार अधिकार वाद 87/12 का प्रश्नगत जमीन वो प्रस्तुत मोकदमा का प्रश्नगत जमीन अलग अलग है। प्रस्तुत मोकदमा दिनांक 21.04.11 को दाखिल किया था जिसका निवटारा 22.09.11 को किया गया। अधिकार वाद संख्या 87/112 में केबाला संख्या 6232/24.11.11 के प्रश्नगत किया गया है। प्रश्नगत मोकदमा से जिसका कोई संबंध नहीं है।

उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि वाद भूमि बीरपुर बसमतिया जाने वाली रोड में हटिया चौक से करीब 400-500 गज पूरब है। चन्देश्वरी भगत वो दीपक स्वर्णकार का घर के बारे में पूछ ताछ किया। चन्देश्वरी भगत का पहलें का घर विवादित जमीन से पश्चिम है। विवादित पर टटी लगा कर धरा पाया पूछने पर बता चला कि प्रतिवादी करीब एक वर्ष


2

4

पूर्व का घर है और कोई उल्लेखनीय बात प्रकाश में नहीं आया।  
अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध  
कागजात के अवलोकन से यह जान पड़ता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर  
अपीलवाद में स्वीकार करने योग्य समुचित आधार नहीं है। अपीलवाद को  
अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित

  
(पंकज कुमार)

आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा

  
(पंकज कुमार)

आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा